दिनाँक	**न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 03, अजमेर** **मुन्ना उर्फ मनवर व अन्य बनाम शमनूर व अन्य** **दीवानी वाद संख्या 98/12** **सीआईएस सं. 122/14**	अनुपालना टिप्पणी
27–08–25	वकुलाय फरिकेन उपस्थित। शेष बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। दौराने बहस वकुलाय ने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये बहस की। दौराने बहस अधिवक्ता वादी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में न्यायालय द्वारा आदेश पारित करके दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लिये थे, जिनकी इंकारी, इकबाली करवाया जाना प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दस्तावेजों की इंकारी, इकबाली करवाये जाने का आदेश दिया जावे। जिसके जवाब बहस में अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा एक साथ बहस कर उक्त तर्कों का विरोध करते हुये निवेदन किया गया कि आदेश 12 नियम 3ए का प्रावधान न्यायालय को स्वयं आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है तथा पक्षकारान द्वारा केवल विवाद्यक विरचित करने से पूर्व ही इस सम्बंध में आदेश 12 नियम 1 व 2 के प्रावधानों की अनुपालना करते हुये कार्यवाही की जा सकती है। प्रकरण चूंकि साक्ष्य वादी के स्तर पर लम्बित था। अतः अब इस स्तर पर प्रार्थना पत्र किसी प्रकार स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे। मेरे द्वारा बहस के प्रकाश में पत्रावली एवं संबंधित विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 18.03.2017 को प्रकरण में विवाद्यक विरचित किये गये थे एवं दिनांक 14.01.2021 को साक्ष्य वादी हेतु पत्रावली नियत की गयी थी। तत्पश्चात प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेने बाबत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर वादी द्वारा दस्तावेजात की स्वीकृति व अस्वीकृति बाबत आदेश दिये जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इस सम्बंध में जहां तक विधिक प्रावधान का प्रश्न है, आदेश 12 नियम 3क में यह प्रावधान किया गया है कि– **3क– स्वीकृति के अभिलेख की न्यायालय की शक्ति–** दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए सूचना नियम 2 के अधीन न दी जाने पर भी न्यायालय अपने समक्ष वाली कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में स्वयं अपनी प्रेरणा से किसी भी पक्षकार से कोई दस्तावेज स्वीकार करने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसी दशा में यह अभिलेखन करेगा कि क्या पक्षकार ऐसी दस्तावेज	

	को स्वीकार करता है या स्वीकार करने से इंकार करता है या स्वीकार करने की उपेक्षा करता है। वहीं आदेश 12 नियम 1 से 3 में दस्तावेजों की स्वीकृति व अस्वीकृति करवाने के सम्बंध में नोटिस दिये जाने व तत्पश्चात प्रक्रिया के सम्बंध में प्रावधान किये गये है तथा आदेश 14 के तहत न्यायालय को विवाद्यक विरचित करने होते हैं। चूंकि प्रकरण में पूर्व में ही विवाद्यक विरचित किये जा चुके है तथा इस स्तर पर क्यों दस्तावेजों की स्वीकृति, अस्वीकृति के सम्बंध में अनुतोष चाहा गया है, ऐसा कोई विशिष्ट कारण वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र व बहस के माध्यम से नहीं बताया गया है तथा प्रकरण में अब विवाद्यक विरचित होने के पश्चात साक्ष्य लेखबद्ध होनी है। प्रकरण 13 वर्ष पुराना होकर न्यायालय की टार्गेट पत्रावली है तथा जहां तक आदेश 7 नियम 14(3) के आदेश के प्रकाश में दस्तावेजों के स्वीकृति, अस्वीकृति बाबत आदेश देने का प्रश्न है, न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 02.05.2025 जिसके द्वारा दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिये गये थे, में स्पष्ट यह वर्णित किया गया है कि उक्त दस्तावेजों के खण्डन के सम्बंध में जिरह के दौरान पर्याप्त अवसर प्रतिवादीगण को प्राप्त होगा। अब इस स्तर पर न्यायालय चूंकि पूर्व में विवाद्यक विरचित किये जा चुके है एवं पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत हो चुकी है। अतः दस्तावेज स्वीकृति, अस्वीकृति के सम्बंध में बिना किसी विशेष कारण के आदेश देना न्यायोचित नहीं पाता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की जाती है। प्रकरण टार्गेट पत्रावली है। आईन्दा आवश्यक रूप से साक्ष्य वादी पेश की जावे। पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 06.09.2025 को पेश हो। **(नीरज गुप्ता)** **अपर जिला न्यायाधीश संख्या–3,** **अजमेर**	